


FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

नाबू राम बनाम लक्ष्मी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 54/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/02/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>नाबू राम</u></p> <p>पिता श्री <u>उदा जी इंदौर</u></p> <p>निवासी- <u>हडमाण कटची वस्ती मोदीखेडा चित्तौड़गढ़</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>पुरोहितों का सावंत</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....<u>792</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> कुल रकबा <u>0.2500</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p><u>पुरोहितों का सावंत (पं. ह. पुम्बडिय तह. चित्तौड़गढ़)</u></p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>पुरोहितों का सावंत</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>792</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> रकबा <u>0.2500</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलान्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500/-</u> रुपये अक्षरे <u>पञ्च</u> (पञ्च) प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>(बिनु देवल)</b>  <b>सहायक कलक्टर एवं</b>  <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>चित्तौड़गढ़ (राज.)</b> </p>